

निदेशक उद्यान, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2014 को आयोजित विभागीय वरीय पदाधिकारियों की सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी में संधारित।

कार्यवाही:-

1. सभी योजना के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे आगामी वर्ष 2015-16 के लिये राज्य योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना की तैयारी कर लें तथा कितनी राशि की आवश्यकता है, से संबंधित योजना निदेशक, पी0पी0एम0 को उपलब्ध करा दें।

(अनुपालन:-सभी योजना के नोडल पदाधिकारी)

2. निदेशक, पी0पी0एम0 ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 योजना उद्ब्यय 223947.26 लाख रुपये के विरुद्ध अबतक 202450.942 लाख रुपये के स्वीकृत्यादेश निर्गत किए गए हैं। अबतक कुल व्यय 143644.92888 लाख रुपये है।

- 2.1 योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार (रबी) एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं केन्द्रीय बीज ग्राम योजना (खरीफ) का स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं हो पाया है। प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि संचिका IFA के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

- 2.2 Sub mission on seed & planting material (रबी) से संबंधित योजना की स्वीकृति कैबिनेट से प्राप्त हो गयी है। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की प्रक्रिया में है उप कृषि निदेशक, बीज ने बताया कि इस योजना का खरीफ 2014 का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। रबी के लिए भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि भारत सरकार से फॉलोऑफ कर राशि प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन:-उप कृषि निदेशक, बीज)

- 2.3 Sub mission on farm mechanization से संबंधित योजना की स्वीकृति हेतु संचिका प्राधिकृत समिति को भेजी गयी थी परन्तु कतिपय कारणों से संचिका वापस ले गयी है। निर्देश दिया गया है, प्राधिकृत समिति के संलेख में सुधारकर प्राधिकृत समिति के स्वीकृति हेतु संचिका भेज दी जाय।

(अनुपालन:-नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण)

- 2.4 योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत परिसम्पतियों के संधारण के संबंध में सभी योजना के नोडल पदाधिकारियों को जानकारी दी गई।

- 2.5 योजनाओं के स्वीकृति की प्रक्रिया के बारे में सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी को अवगत कराया गया। स्वीकृत्यादेश में कार्य योजना की अनुसूची एवं किस-किस कोषागार से कितनी राशि की निकासी होगी, उल्लेख रहना चाहिए।

(अनुपालन:—सभी योजना के नोडल पदाधिकारी)

3. दियारा विकास के नोडल पदाधिकारी बताया कि जिलों से मटर के जगह सब्जी के बीज घटक में बदलने का प्रस्ताव हुआ है, Inter Componential Change का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संचिका उपस्थापित किया गया है।
4. कम्प्युटर ऑपरेटर के भुगतान के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बेलट्रॉन से अवशेष राशि का चेक प्राप्त हो गया है, अब DC विपत्र बनाकर कोषागार भेजा जा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्र राशि की निकासी कर भुगतान की जाय।

(अनुपालन:—उप कृषि निदेशक (प्रसार)—सह—डी०डी०ओ०)

5. आई० टी० मैनेजर को निदेश दिया गया कि हार्डडिस्क एवं NIC के लिये प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय। राशि की अग्रिम निकासी कर NIC को भुगतान करना है, इसके लिये माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। बामेती से लेकर जो 6.00 लाख रू० NIC को भुगतान किया गया है, उसका NIC से विपत्र की मांग करें, ताकि राशि की निकासी कर बामेती को भुगतान किया जा सके।

(अनुपालन:—IT कोषांग)

6. निदेशक, पी०पी०एम० द्वारा बताया गया कि पी०पी०एम० कार्यालय कक्ष के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग को राशि उपलब्ध कराये, करीब दो वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, निदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता से अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर लि जाय।
7. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अन्न भंडारण योजनान्तर्गत धातु कोठिला में उपलब्धि नहीं हो रही है। इस योजना अन्तर्गत निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के साथ संलग्न प्राक्लन में चदरा की मोटाई 0.62 mm निर्धारित है। इस पर संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) द्वारा बताया गया कि अबतक 41 निर्माताओं द्वारा RAU PUSA से अपने धातु कोठिला का परीक्षण कराया है। जिसमें 5 क्विंटल क्षमतावाले धातु कोठिला के चदरा की

W

मोटाई 0.55 मी० से अधिक एवं वजन 19 केजी० से 22 केजी० अब अनुमोदित किया गया है, निदेश दिया गया कि इसकी जानकारी सभी जिलों को दे दी जाय।

(अनुपालन:—कृषि यांत्रिकरण एवं RKVY कोषांग)

8. जैविक खेती, मद में अभी तक 200 करोड़ के विरुद्ध 25 करोड़ की निकासी हुई है, वरीय प्रभारी द्वारा बताया गया कि बायोगैस मद में राशि की निकासी नहीं हुई है। जैविक खाद एवं व्यवसायिक वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन पर देय अनुदान राशि की निकासी मुख्यालय स्तर पर होना है। HDPE का लक्ष्य कम हो गया है, पक्का वर्मीकम्पोस्ट का लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

(अनुपालन:—जैविक खेती कोषांग)

9. संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) को निदेश दिया गया कि बायो पेस्टीसाइड एवं फेरोमैन ट्रैप के महत्व एवं इसकी तकनीक की जानकारी कृषकों को दी जाय। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करावें। जन साधारण तक इसकी जानकारी पहुँचाने हेतु 11-14 फरवरी, 2015 के बीच आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला में एक स्टाल लगाया जाय। उप निदेशक (शष्य) गुण नियन्त्रण द्वारा बताया गया कि इस कलस्टर में कराया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) को निदेश दिया गया कि वे अगली सप्ताह बतायेंगे कि इसे कैसे Promote किया जाय।

(अनुपालन:—संयुक्त कृषि निदेशक (पौ०सं०) बिहार, पटना)

10. निदेशक, बामेती द्वारा बताया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जितनी राशि मिलना चाहिये, उतनी राशि प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि वित्त विभाग से वार्ता कर जानकारी प्राप्त कर लें, अगर समाधान नहीं हो रहा है तो दिल्ली जाकर समाधान कराये।

(अनुपालन:—निदेशक, बामेती, बिहार, पटना)

11. निदेश दिया गया कि अनुदान हेतु पॉलीहाउस शेड नेट एवं अन्य प्राप्त आवेदन की समीक्षा की जाय। सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ तैयार कर उपस्थापित किया जाय। निदेश दिया गया कि प्राधिकृत समिति के लिये संलेख तैयार किया जाय।

(अनुपालन:—उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना)

12. प्रभारी पदाधिकारी NFSM द्वारा बताया गया कि दुसरी किस्त भारत सरकार से 27 करोड़ रूपया प्राप्त हो गया है, परन्तु पूरी राशि नहीं दिया गया है, पिछले वर्ष का शेष राशि को घटाकर उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि तीसरी किस्त की मांग की जाय।

(अनुपालन:—प्रभारी पदाधिकारी NFSM)

13. केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच कोई मामला विचारार्थ रखा जाना है। संबंधित नोडल पदाधिकारी तैयार कर श्री अनील कुमार झा सिंचाई विशेषज्ञ को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

14. बजट प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आवंटन की प्रति को जिला कृषि पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को ई-मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन:-प्रभारी बजट पदाधिकारी एवं आई0 टी0 कोषांग)

15. निदेश दिया गया कि दिनांक 01.01.2015 से उर्वरक/बीज/कीटनाशी का अनुज्ञप्ति नवीकरण/इन्डोर्समेन्ट से संबंधित सभी आवेदन On line लिये जायेंगे। साथ ही जिलों से संग्रह किये गये नमूना भी विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को On line भेजा जायेगा। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी आवश्यक निर्देश निगत करने हेतु संचिका उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन:-अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी कोषांग)

16. वर्मीकम्पोस्ट/बायोगैस का आवेदन दिनांक 01.01.2015 से On line लिया जायेगा।

17. हरी चादर योजना अन्तर्गत ढेंचा/मूंग हेतु आवेदन भी किसान On line देंगे।

18. माप-तौल से संबंधित आवेदन फरवरी 2015 से On line लिया जायेगा।

19. सभी जिला नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि माह दिसम्बर, 2014 में जिला भ्रमण उपरान्त निरीक्षण टिप्पणी वेबसाइट पर officer portal में अपलोड करेंगे।

(अनुपालन:-सभी जिला नोडल पदाधिकारी)

20. MIS का PPT प्रस्तुत किया गया। निदेश दिया गया कि जिला नोडल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला कृषि पदाधिकारी योजना से लाभान्वितों की www.Krishimis.nic.in पर अपलोड करेंगे ताकि इसकी जानकारी आम जनता को हो।

21. नोडल पदाधिकारी, ई-किसान भवन को निदेश दिया गया कि विभागीय भवन का जो निर्माण हो रहा है, उसमें जिस भवन का नाम गुणवत्तायुक्त नहीं हो रहा है उसकी सूची योजना एवं विकास विभाग द्वारा मांग की गई है।

(अनुपालन:- नोडल पदाधिकारी ई-किसान भवन)

22. योजनाओं के Evaluation Report की प्रति एवं Action Taken Report प्रतिवेदन शीघ्र योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन.- प्रभारी पदाधिकारी NFSM)

23. सूचित किया गया कि दिनांक 07.01.2015 को कृषि रोडमैप की बैठक प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी, सम्बन्धित पदाधिकारी प्रतिवेदन निदेशक, पी0पी0एम0 को शीघ्र उपलब्ध करा दें तथा निर्धारित तिथि को बैठक में भाग लें।

(अनुपालन:—कृषि यांत्रिकरण/बीज/जैविक खेती/RKVY/NFSM कोषांग),

24. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य योजना अन्तर्गत जीरो टिलेज प्रत्यक्षण के अनुसूचित जनजाति मद का 6.08 लाख रूपया का विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ आपत्ति दर्ज की गई है। निदेश दिया गया कि आपत्ति से योजना प्रभारी एवं बजट प्रभारी को अवगत करा कर निराकरण कराकर निकासी करें।

(अनुपालन:—डी0 डी0 ओ0)

25. सभी पदाधिकारी द्वारा मांग किया गया कि GPS Recoding का एक Software बनवाया जाय जिसे Tablet में दे दिया जाय ताकि योजनाओं के Monitoring में मदद मिलेगी। IT प्रभारी को निदेश दिया गया कि NIC से Anward application का Software तैयार कराया जाय।

(अनुपालन:—IT कोषांग)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

P. Prasad

21/1/15

निदेशक, उद्यान

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी0पी0एम0-71/2014]]

पटना, दिनांक :- 02-01-2015

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/उद्यान निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/अपर कृषि निदेशक-सह-प्रभारी किसान सलाहकार योजना/संयुक्त कृषि निदेशक(प्रसार)-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0 कोषांग एवं रा0कृ0वि0यो0/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना, प्रभारी टाल विकास कार्यक्रम/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक माप-तौल/उप सचिव, कृषि विभाग/उप निदेशक, प्रशासन/कृषि विशेषज्ञ, पी0पी0एम0, कोषांग/अवर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा-4 एवं प्रशाखा-1/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0/उप कृषि निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, रा0कृ0वि0यो0/उप कृषि निदेशक, मुख्यालय/संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान-सह-प्रभारी, प्रसंस्करण प्रमुख/उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण-सह-प्रभारी विपणन एवं उत्पादन प्रमुख/उप कृषि निदेशक, तेलहन प्रभारी दियारा विकास कार्यक्रम/उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग/उप कृषि निदेशक(प्रसार)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं अनुश्रवण कोषांग/नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण योजना/उप निदेशक, उद्यान (योजना)/उप कृषि निदेशक, आलू/उप निदेशक उद्यान (नर्सरी)/उप निदेशक, उद्यान (सब्जी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

